



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

मंडल कार्यालय
कार्मिक शाखा
बिलासपुर -495 004
दू.भा. : 62430 , 07752.247030
फैक्स : 62934 , 07752.247030



SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

Divisional Office
Personnel Branch
Bilaspur - 495 004
Tele : 62430 (Rly) , 07752-247030 (DOT)
Fax : 62934 (Rly), 07752-247030 (DOT)

सं. पी/बिलासपुर/भर्ती/एक्ट अप्रेन्टीस/2017-18

दिनांक 24.03.2017

प्रति

मुख्य कौशल विकास पदाधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, रायगढ़ (छ.ग.)

मुख्य कौशल विकास पदाधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)

मुख्य कौशल विकास पदाधिकारी
ओडिसा शासन, भुवनेश्वर (ओडिसा)

विषय:-वर्ष 2017-18 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेन्टिस एक्ट 1961 एवं अप्रेन्टिस नियम 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेन्टिस के चयन (engagement) के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत बिलासपुर मंडल में वर्ष 2017-18 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेन्टिस एक्ट 1961 एवं अप्रेन्टिस नियम 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेन्टिस के चयन (engagement) हेतु आन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत नियम एवं पदों की रिक्तियों से संबंधित अधिसूचना की प्रति इस पत्र के साथ 03 पृष्ठों में संलग्न है।

अतः आपके जानकारी एवं आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोक्त 03 पृष्ठों में।

(बाबू अब्दूल कादिर एम)
सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर, झारसुगड़ा, शहडोल, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर, कोरबा, अकलतरा, जॉजगीर-चॉपा, सुन्दरगढ़, बुढ़ार से अनुरोध है कि योग्य उम्मीदवारों से आग्रह करें कि उम्मीदवार इस कार्यालय की वेब पोर्टल www.secr.indianrailways.gov.in/about_us/division/bilaspur/personnel के माध्यम से आवेदन करें।
2. आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोनी/बिलासपुर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ (छ.ग.) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था झारसुगड़ा(ओडिसा) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शहडोल(म.प्र.) ।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी/द०प०म०र००/बिलासपुर को सूचनार्थ, 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), द०प०म०र०० /बिलासपुर, 5. समस्त शाखा अधिकारी बिलासपुर मंडल को अपने अधीन सुपरवाइजरी इकाई में प्रेषित करने हेतु 6. मंडल समन्वयक दपूमरे/मजदूर कांग्रेस, बिलासपुर मंडल, 7. मंडल सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अभा.अजा./अजजा. रेल कर्मचारी संघ/बिलासपुर मंडल 8. मंडल कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी/बिलासपुर,, 9. जन सम्पर्क अधिकारी/दपूमरे/बिलासपुर, 10. समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/बिलासपुर मंडल, 11. सूचना पटल।

कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

मंडल कार्यालय
कार्मिक शाखा
बिलासपुर - 495 004
दू.भा. : 62430, 07752.247030
फैक्स : 62934, 07752.247030



SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

Divisional Office
Personnel Branch
Bilaspur - 495 004
Tele : 62430 (Rly), 07752-247030 (DOT)
Fax : 62934 (Rly), 07752-247030 (DOT)

क्रमांक: पी/बिलासपुर/भर्ती/एकट अप्रेन्टिस/2017-18

दिनांक 23.03.2017

अधिसूचना

विषय :- वर्ष 2017-18 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेन्टिस एकट 1961 एवं अप्रेन्टिस नियम 1962 के अंतर्गत एकट अप्रेन्टिस का चयन (engagement) ।

1. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेन्टिस एकट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पदनामित ट्रेडों पर ट्रेड अप्रेन्टिस के रूप में चयन (engagement) के लिए बिलासपुर मंडल के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले पात्र उमीदवारों से रोजगार कार्यालय एवं वेब पोर्टल के माध्यम से [www.secr.indianrailways.gov.in/about us/ division/bilaspur/personnel](http://www.secr.indianrailways.gov.in/about_us/division/bilaspur/personnel) वेबसाइट से ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पदनामित ट्रेड	अना.	अपिव	अजा	अजजा	कुल	भूपूसै *	दिव्यांग*		
1	इलेक्ट्रीशियन/ वायरमेन	04	02	01	01	08	02	HH	OH	VH
2	फीटर/वेल्डर/ टर्नर/मशीनिस्ट,	09	05	03	02	19	04	—	—	—
3	कोपा	02	01	0	0	03	01	—	1**	—
कुल		15	08	04	03	30	07	—	1	—

*नोट : दिव्यांग का तात्पर्य शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति एवं भूपूसै का तात्पर्य भूतपूर्व सैनिक है।

** OH के लिए कोपा का 01 पद आरक्षित है जिसके लिए वे जिनको 40% से कम की विकलांगता न हो, आवेदन कर सकते हैं।

1.1 जो दिव्यांग अभ्यर्थी दिव्यांगता का लाभ लेना चाहते हैं वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (अर्थात केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)

1.2 बिलासपुर मंडल के भौगोलिक क्षेत्र में सेवारत/सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पाल्य आनलाईन आवेदन कर सकते हैं या वरि. नंडल कार्यालय बिलासपुर के भर्ती अनुभाग में रखे बाक्स में अपना आवेदन डाल सकते हैं।

2. शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता:-

- क) अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वीं (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
ख) अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. आयु सीमा:

अभ्यर्थी की आयु 15 वर्ष हो तथा दिनांक 27.03.2017 को अभ्यर्थी की आयु 22 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। उच्च आयु सीमा में अजा/अजजा के उमीदवारों को 05 वर्ष एवं अपिव के उमीदवारों को 03 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उमीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी।

क्रम संख्या	समुदाय	अभ्यर्थी जिनका जन्म निम्नांकित तिथि के मध्य हुआ हो
01	अनारक्षित	27/03/1995 से 27/03/2002
02	अनुसूचित जाति	27/03/1990 से 27/03/2002

03	अनुसूचित जनजाति	27/03/1990 से 27/03/2002
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	27/03/1992 से 27/03/2002
05	दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक	27/03/1985 से 27/03/2002

4. अप्रेन्टिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति :— चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु/अप्रेन्टिस के रूप में चयन (engagement) किए जाएंगे तथा उन्हें इलेक्ट्रीशियन, वायरमेन, फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए 1 वर्ष तथा कोपा के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण/अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जायेगा। उन्हें केन्द्र सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जायेगा।

5. चयन प्रक्रिया:- अप्रेन्टिस एकट के तहत पात्र अभ्यर्थियों में से प्रशिक्षणार्थियों की चयन (engagement) योग्यता कम में आई.टी.आई. परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निकाली जायेगी। यदि 02 अभ्यर्थी का समान अंक होता है तो दोनों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा और दोनों का जन्म तिथि समान होने की स्थिति में, जो मैट्रिक परीक्षा पहले उत्तीर्ण की हो, उन्हें चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। जो अभ्यर्थी उक्त प्रशिक्षण के लिए चयनित होंगे, उन्हें रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त घोषित किए जाने पर उनकी नियुक्ति होगी। कोई अन्य परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा।

6. चिकित्सा परीक्षण

6.1 अप्रेन्टिस एकट 1961 एवं अप्रेन्टिस नियम 1962, समय – समय पर यथासंशोधित के तहत एक व्यक्ति प्रशिक्षण हेतु पात्र होगा। यदि वह उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियम में विहित के अनुसार शारीरिक स्वरक्षता के न्यूनतम मापदंड को पूरा करता/करती है एवं संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित मानक रेलवे चिकित्सक द्वारा उपयुक्त प्रमाणित होता है तो प्रशिक्षण का पात्र होगा।

6.2 चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित चिकित्सकीय परीक्षा पास करना होगा एवं चिकित्सा परीक्षण शुल्क के रूप में 24 रुपये का भुगतान करना होगा।

7. संविदा :

चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा(यदि नाबालिग हो तो अभिभावक द्वारा)।

8. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेन्टिस एकट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें।

9. भूतपूर्व सैनिक

9.1 20 प्रतिशत आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे, जो उन्हें प्रदान की गई है, अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेन्टिसशिप के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जायेगा।

क) मृत सैनिक के बच्चे/युद्ध के समय मारे गए/दिव्यांग सैनिकों सहित

ख) भूतपूर्व सैनिक के बच्चे

ग) सेवारत जवान के बच्चे

घ) सेवारत अधिकारी के बच्चे

च) भूतपूर्व सैनिक

10. हेल्पलाईन सम्पर्क

श्री आर.डी. सिदार कार्या. अधीक्षक भर्ती अनुभाग : मो. 9752485104, कार्यालय 07752-243635

11. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :

पूर्ण रूप से भरे गए आन लाइन आवेदन को आन लाइन प्रक्रिया से दिनांक 26.04.2017 तक प्रस्तुत करें अथवा वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय बिलासपुर के भर्ती अनुभाग में रखे बाक्स में अपना आवेदन डाल सकते हैं।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश:-

(क) आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें। वेबसाइट का पता -

www.secr.indianrailways.gov.in/about_us/division/bilaspur/personnel

(ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें।

(ग) किसी भी प्रकार की पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

(घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने पर किसी भी प्रकार का टी.ए./डी.ए. नहीं दिया जायेगा।

(च) अभ्यर्थी को नवीनतम पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ एवं डिजिटल हस्ताक्षर सहित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की साफ्ट/स्कैन्ड कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

(छ) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं किसी प्रकार की विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निररत्न कर दी जाएगी।

(झ) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत/जाली प्रमाण पत्र/झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।

(त) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(थ) रेल प्रशासन किसी प्रकार की मुद्रण त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

नोट:- किसी संशय/विरोधाभाष की स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा।

अर. गणेश

(आर. गणेश)

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

दिनांक 27.03.2017

सं-पी/बिलासपुर/भर्ती/एक्ट अप्रेन्टीस/2017-18

प्रतिलिपि-

1. जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर, झारसुगुड़ा, शहडोल, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर, कोरबा अकलतरा, जॉजगीर-चौपा, सुन्दरगढ़, बुढ़ार से अनुरोध है कि योग्य उम्मीदवारों से आग्रह करें कि उम्मीदवार इस कार्यालय की वेब पोर्टल www.secr.indianrailways.gov.in/about_us/division/bilaspur/personnel के माध्यम से आवेदन करें।

2. मुख्य कार्मिक अधिकारी/द०प०म०२०/बिलासपुर को सूचनार्थ, 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (नर्माण), द०प०म०२०/बिलासपुर, 4. समस्त शाखा अधिकारी, सुपरवाइजारी ईकाई, बिलासपुर मंडल, 5. मंडल समन्वयक दपूमरे/मजदूर कांग्रेस, बिलासपुर मंडल, 6. मंडल सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अभा.अजा./अजजा. रेल कर्मचारी संघ/बिलासपुर मंडल 7. मंडल कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी-1 एवं 2, 8. जन संम्पर्क अधिकारी/दपूमरे/बिलासपुर, 9. समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/बिलासपुर मंडल, 10. सूचना पटल

अर. गणेश

(आर. गणेश)

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

का. वं.

अर. गणेश
24/3/17

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

(आवेदन पत्र का प्रारूप)

विषय:-अप्रेन्टीस एकट 1961 एवं अप्रेन्टीस नियम 1962 के अंतर्गत द.प.म.रम.

/बिलासपुर मंडल में एकट अप्रेन्टीसकी चयन

संदर्भ:- पी/बिलासपुर/भर्ती/एकट. अप्रेन्टीस/2017-18 दि. 23.03.2017

1. आवेदक का पूरा नाम :

(बड़े अक्षरों में)

2) ट्रेड का नाम :

(जिसके लिए आवेदन करना है)

3. अ) पिता का नाम :

ब) व्यवसाय :

4 अगर आवश्यक हो तो अभिभवक :

से संबंधित उसका पता :

5 पत्राचार के लिए वर्तमान का पूर्ण पता :

:

:

6 अ) जन्म तिथि:

दिन	माह	वर्ष				

ब) 27.03.2017 को आयु

दिन	माह	वर्ष				

7. शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की साक्षात्कृति प्रतिलिपि संलग्न करें)

क्रम सं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम एवं उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत (%)

8 तकनीकी अर्हता (प्रमाण पत्रों की साक्षांकित स्वहस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि संलग्न करें)

क्रम सं.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम	परीक्षा नाम एवं उत्तीर्ण करने का वर्ष	ट्रेड का नाम एवं उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत (%)

9. जाति

अ) क्या आप अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. समुदाय से हैं

हाँ	नहीं

ब) अगर हाँ तो उपजाति का उल्लेख करें

(सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र संलग्न करें) .

स) यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो कृपया(हाँ/नहीं) उल्लेखित करें
(कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. स्वयं का पहचान चिन्ह

अ).....

ब)

11 क्या आपने रोजगार कार्यालय से पंजीयन कराया है (हाँ / नहीं)

12. रोजगार कार्यालय का पंजीयन विवरण –

अ) रोजगार कार्यालय का नाम :

ब) पंजीयन की तिथि :

स) पंजीयन क्रमांक :

द) किस वर्ष तक वैध है :

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर उपर दर्शायी गई समस्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी क्षण में अगर कोई भी जानकारी त्रुटिपूर्ण व असत्य पाई गई तो बिना किसी पूर्व सूचना के मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया जाए।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम.....